आखिरी जांच: 23 अक्टूबर 2026 · Home Department (Police), Government of Uttarakhand

Aapatkaleen Avadhi mein Misa / DIR mein Karagar mein Nirudhd Pradesh ke Loktantra Senaniyon ki Loktantra Senani Samman Pension Yojana (Uttarakhand)

उत्तराखंड आपातकाल 1975 से 1977 में मीसा या डीआईआर में जेल गए प्रदेश के निवासियों और उनकी विधवा या विधुर को मासिक सम्मान पेंशन देता है।

क्या मिल सकता है

आपातकाल की अवधि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 में मीसा या डीआईआर में जेल गए प्रदेश के व्यक्ति को मासिक लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन मिलती है। ऐसे व्यक्ति की विधवा पत्नी या विधुर पति को भी यह मिलती है, और जिलाधिकारी की आख्या के बाद शासन स्तर से स्वीकृत होती है।

किसके लिए है

आपातकाल में मीसा या डीआईआर में जेल गए उत्तराखंड के निवासी, और उनकी विधवा पत्नी या विधुर पति।

मुख्य शर्तें

- आवेदक 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच मीसा या डीआईआर में जेल गया हो
- विधवा पत्नी या विधुर पति तब आवेदन कर सकते हैं जब उनके पति या पत्नी को लोकतंत्र सेनानी पेंशन मिल रही थी या वे उस अवधि में जेल रहे हों
- आवेदक को जेल जाने का या पति-पत्नी को पेंशन मिलने का सबूत देना होगा

दस्तावेज़

- आपातकाल में आवेदक या दिवंगत पति या पत्नी के मीसा या डीआईआर में जेल जाने का, या लोकतंत्र सेनानी पेंशन मिलने का सबूत

आवेदन कैसे करें

1. अपने जनपद के जिलाधिकारी को आवेदन दें; कोई फॉर्म उपलब्ध नहीं है।
2. जेल अवधि या पति-पत्नी को पेंशन मिलने का सबूत लगाएं।
3. जिलाधिकारी आख्या और संस्तुति भेजते हैं और मंत्री या मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद शासन स्तर से पेंशन स्वीकृत होती है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s36547884cea64550284728eb26b0947ef/uploads/2025/04/2025040717566713.pdf#page=65
आधिकारिक PDF: https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s36547884cea64550284728eb26b0947ef/uploads/2025/04/2025040717566713.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/uttarakhand/uk-loktantra-senani-samman-pension/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।